भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-154

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

यूजीसी दिशानिर्देशों में संशोधन

†154. **श्री सचिदानन्दम आर.:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;
(ख) इन संशोधनों को किस समय-सीमा के भीतर अपनाए जाने का विचार है;
(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में अधिसूचित प्रारूप विनियमों में यथा प्रस्तावित गैर-शिक्षाविदों को विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद के लिए पात्र बनाने के प्रस्ताव के पीछे क्या तर्काधार है; और
(घ) क्या कुलपति जैसे उच्च पदों पर गैर-शिक्षाविदों की भर्ती से विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति और पदोन्नति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया है। यह शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा अनुसंधान के माध्यम से देश को विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर करने का प्रयास करता है। यह विश्वविद्यालयों को अपने संस्थानों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में छूट प्रदान करता है। यूजीसी ने इन विनियमों को सार्वजनिक परामर्श के लिए अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। मसौदा विनियमों पर हितधारकों की टिप्पणियाँ

दिनांक 5 फरवरी, 2025 तक मांगी गई हैं। मसौदा यूजीसी विनियम, 2025 की मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई हैं:-

i. ये विनियम उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, अतिरिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा और खेल सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेल उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेल अपर निदेशक और शारीरिक शिक्षा और खेल निदेशक की नियुक्ति और पदोन्नति तथा प्राचार्य और कुलपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता, अनुभव और उपलब्धियों को निर्दिष्ट करते हैं।

ii. भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना सीएएस के मानदंडों में से एक है। यह अकादमिक प्रकाशनों और डिग्री कार्यक्रमों में भारतीय भाषाओं के उपयोग को भी प्रोत्साहित करता है।

iii. अभ्यर्थी उन विषयों में अध्यापन करियर अपना सकते हैं, जिनके लिए वे नेट/सेट में अर्हता प्राप्त करते हैं, भले ही वे उनकी पिछली डिग्री से अलग हों। पीएचडी विशेषज्ञता को प्राथमिकता दी जाएगी।

iv. इसका उद्देश्य स्कोर-आधारित शॉर्ट-लिस्टिंग को समाप्त करना है, तथा "उल्लेखनीय योगदान" सहित योग्यता की व्यापक श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करना है।

v. यह कला, खेल और पारंपरिक विषयों के विशेषज्ञों के लिए समर्पित भर्ती मार्ग की सुविधा प्रदान करता है।

vi. यह निपुण खिलाड़ियों, जिनमें दिव्यांगजन भी शामिल हैं, को शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के अवसर प्रदान करता है।

vii. यह कुलपतियों के लिए चयन प्रक्रिया को संशोधित करता है, जिसमें पारदर्शिता के साथ पात्रता मानदंड को बढ़ाया गया है। कुलपतियों के लिए पात्रता में उद्योग, सार्वजनिक नीति, अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासन में प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल हैं और पदोन्नति के मानदंडों को सुव्यवस्थित करता है, जिसमें शिक्षण, अनुसंधान आउटपुट और शैक्षणिक योगदान पर बल दिया जाता है।

viii. यह संकाय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों के लिए निरंतर सीखने और कौशल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है।

ix. यह भर्ती, पदोन्नति और शिकायतों के समाधान के लिए पारदर्शी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है।

x. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर (लेवल 12), एसोसिएट प्रोफेसर (शैक्षणिक लेवल 13ए) और प्रोफेसर (शैक्षणिक लेवल 14) के पदों पर पदोन्नति के लिए पीएचडी डिग्री को अनिवार्य योग्यता बना दिया गया है।

xi. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले महाविद्यालयों के लिए, शिक्षकों के पद पर सीधी भर्ती या तो इन विनियमों के अनुसार होगी या इन विनियमों में दी गई न्यूनतम योग्यताओं का पालन करते हुए राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी।

xii. विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती/पदोन्नति के लिए केवल एक चयन समिति निर्धारित की गई है।

xiii. महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती/पदोन्नति के लिए केवल एक चयन समिति निर्धारित की गई है।

xiv. विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज सह चयन समिति की संरचना निर्दिष्ट की गई है।

xv. शिक्षकों को रिक्त स्वीकृत संकाय पदों पर संविदा आधार पर अधिकतम छह माह की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है, केवल तभी जब यह आवश्यक हो।

उन्हें नियुक्त करने के लिए योग्यता और चयन प्रक्रिया वही होनी चाहिए जो नियमित रूप से नियुक्त शिक्षक के लिए लागू होती है। ऐसे अनुबंध शिक्षकों को दिया जाने वाला नियत कुल पारिश्रमिक नियमित रूप से नियुक्त सहायक प्रोफेसर के मासिक सकल वेतन से कम नहीं होना चाहिए। ऐसी नियुक्तियाँ एक से अधिक शैक्षणिक सत्र के लिए नहीं की जानी चाहिए और समीक्षा के बाद दूसरे शैक्षणिक सत्र के लिए इनका नवीनीकरण किया जा सकता है।

(ग) और (घ): एनईपी 2020 में स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में केंद्र आदि स्थापित करके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सुदृढ़ उद्योग-अकादमिक संबंध को बढ़ावा दिया गया है। मसौदा विनियमों में कहा गया है कि वरिष्ठ स्तर पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार और उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले तथा प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता के साथ-साथ जटिल परिस्थितियों को संभालने की क्षमता रखने वाले, संवैधानिक मूल्यों और संस्थान के समग्र दृष्टिकोण के साथ मजबूत तालमेल दिखाने वाले, साथ ही सुदृढ़ सामाजिक प्रतिबद्धता, टीम वर्क में विश्वास, बहुलवाद, विविध लोगों के साथ काम करने की क्षमता और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे गुणों वाले उम्मीदवार कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं। इस तरह, मसौदा विनियम उद्योग, सार्वजनिक नीति, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अनुमति देकर कुलपति पदों के लिए संभावित उम्मीदवारों के पूल का विस्तार करते हैं।

****